

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2025—फाल्गुन 30, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2025

क्र. ई-5-1101-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर का दिनांक 3 से 7 मार्च 2025 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 1, 2 एवं 8, 9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार, भाप्रसे,को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1174-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे (2018), अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर का दिनांक 27 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 3 से 12 मार्च 2025 तक, दस दिन के एक्स-इंडिया अवकाश को सम्मिलित करते हुये (दिनांक 26 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे,को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

1919

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे (2013), कलेक्टर, जिला मऊगंज का दिनांक 19 से 25 फरवरी 2025 तक, सात दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 26 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला मऊगंज की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला मऊगंज का प्रभार डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, भाप्रसे (2017), आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मऊगंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला मऊगंज का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025

क्र. ई-5-630-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 4 से 7 मार्च 2025 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 8-9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को तथा ऊर्जा विभाग का प्रभार श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे, भाप्रसे एवं श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-870-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, लिमिटेड, जबलपुर का दिनांक 17 से 28 मार्च 2025 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 15, 16 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनय द्विवेदी, भाप्रसे, (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनय द्विवेदी, भाप्रसे, को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्र. ई-1-23-2025-5-एक.— भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 17-1-2025-EO (MM-I), दिनांक 17 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, श्री पंकज जैन, भाप्रसे (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, खान मंत्रालय के अंतर्गत उपसचिव के समकक्ष Private Secretary to Hon'ble Minister of Coal & Mines (Shri G. Kishan Reddy) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के कार्यकाल अवधि के को-टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री जैन माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2025

क्र. ई-5-816-आयएस-लीव-5-एक.— श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, (2005), आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का दिनांक 7 से 25 अप्रैल 2025 तक, उन्नीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 5, 6 एवं 26, 27 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे, (2010), कलेक्टर, जिला भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-239-2024-5-एक.— नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे मेट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समकक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है।
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संजय कुमार शुक्ल (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल

(2) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 मार्च 2025 से प्रभावशील होगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे, उन्हें सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025

क्र. ई-1-193-2024-5-एक.— भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 6-1-2025-EO (MM-I), दिनांक 31 जनवरी 2025 के अनुक्रम में, श्रीमती प्रियंका दास, भाप्रसे (2009), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की सेवाएं Deputy Director (Senior), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie के पद पर पाँच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो के लिए, नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2025

क्र. ई-5-1116-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे (2018), अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल का दिनांक 24 फरवरी से 22 अगस्त 2025 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025

क्र. ई-5-888-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत यादव, भाप्रसे (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का दिनांक 27 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 8, 9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री भरत यादव, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाँवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री भरत यादव, भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री भरत यादव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025

क्र. GAD-6-0015-2025-GAD-1-एक (GAD).— भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, (नियुक्ति डिवीजन), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K. 13025-01-2022-U.S.II, दिनांक 12 फरवरी 2025 द्वारा माननीय न्यायाधिपति, श्री आशीष श्रोती की नियुक्ति मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है।

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री आशीष श्रोती द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2025

क्र. I-218584-2025-2602793-GAD-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती सुनीता यादव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर की सेवानिवृत्ति दिनांक 12 जनवरी 2025 की स्थिति में कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :—

	अर्द्ध वेतन अवकाश	अर्जित अवकाश (पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश)
पूर्व सेवा का अवकाश बैलेंस	191	282
उच्च न्यायालय की सेवा		
अवधि का अवकाश बैलेंस	76	

[उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 में अर्जित अवकाश की गणना करने का उल्लेख नहीं है]।

(2) अतः माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्रीमती सुनीता यादव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की सेवानिवृत्ति दिनांक 12 जनवरी 2025 की स्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के पत्र क्रमांक एल-12023-2012-जस, दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुरूप अधिकतम 282+18=300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0001-2024-GAD-1-One (GAD).— माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक सी-853 (दो-1-19-2024), दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 23 दिसम्बर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt.(ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपभोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है।

क्र. GAD-6-0007-2024-GAD-1-One (GAD).— माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रूपेश चन्द्र वाष्ण्य, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर की सेवानिवृत्ति दिनांक 26 दिसम्बर 2024 की स्थिति में कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :—

	अर्द्ध वेतन अवकाश	अर्जित अवकाश (पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश)
उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अवकाश बैलेंस	140	[उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में अर्जित अवकाश की गणना करने का उल्लेख नहीं है]।

(2) अतः माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रूपेश चन्द्र वाष्ण्य, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 26 दिसम्बर 2024 की स्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के पत्र क्रमांक एल-12023-2012-जस., दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक 2 के अनुरूप अधिकतम सत्तर दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0012-2025-GAD-1-One (GAD).— माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री दुप्पाला वेंकट रमन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक ए-794 (दो-1-20-2023), दिनांक 8 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 से 31 जनवरी 2025 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 जनवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 3 फरवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0013-2025-GAD-1-One (GAD).— माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक सी-855 (दो-1-21-2023), दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 4 से 7 फरवरी 2025 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 3 फरवरी 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0014-2025-GAD-1-One (GAD).— माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को डी. आर.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक सी-857 (दो-1-22-2023), दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 23 दिसम्बर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt.(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपभोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है।

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2025

क्र. GAD-6-0006-2025-GAD-1-One (GAD).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2025 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री दिनेश कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की अंकित तिथि “दिनांक 20 दिसम्बर 2024 से दिनांक 4 जनवरी 2024 तक” को संशोधित करते हुए “दिनांक 20 दिसम्बर 2024 से दिनांक 4 जनवरी 2025 तक” पढ़ा जावे.

(2) शेष यथावत् रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेशरिया, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

फा. क्र. 969-इक्कीस-ब (एक)-2025.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस-ब (एक) 2051 - 2016, दिनांक 6 जून, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 17 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1-5-96-इक्कीस-ब(एक) 2252 / 2020, दिनांक 31 अगस्त, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में 11 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए श्री अरविन्द कुमार शर्मा, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हों, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	श्रीमती नीलम शुक्ला, उन्नीसवें जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर.”

F. N. 969-XXI-B(one)-2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this Departments Notification No. 1-5-96-XXI-B(one)-2051-2016, dated 6th June, 2016, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17th June, 2016 & in supersession of this Departments Notification No. 1-5-96-XXI-B(one)-2252-2020, dated 31st August, 2020, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 11th September, 2020, the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the District and Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Arvind Kumar Sharma IIIrd District and Additional Sessions Judge, Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub-section (1) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to him by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judge (2)	Head Quarter (3)	Jurisdiction of Special Court (4)
“1.	Smt. Neelam Shukla, XIX th District & Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Narmadapuram, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur, and Ashoknagar.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2025

क्र. 1-1-1-0002-2025-Sec-1-आठ (TRP) 501.—मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 968-2025-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 28 फरवरी 2025 द्वारा श्री शिवकांत, प्रधान न्यायाधीन, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा की सेवाएं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर नियुक्त करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपी गई है।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, श्री शिवकांत, प्रधान न्यायाधीन, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा की उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2025

क्र. एफ 30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3(ख) के तहत जारी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 मई 2005, दिनांक 11 अप्रैल 2007, दिनांक 24 सितम्बर 2015 एवं दिनांक 11 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार, एतद्वारा निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2025

क्र. एफ 30-08-2002-दस-3 (Part-1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 30-08-2002-दस-3, दिनांक 11 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 11th March 2025

No. F 30-08-2002-X-3.—The State Government hereby revoke the notifications of the department issued on May 16, 2005, April 11, 2007, September 24, 2015 and April 11, 2017 under the Rule 3(b) of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0012/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-सागर

तहसील - सागर

वनमण्डल- दक्षिण सागर (सामान्य)

वन परिक्षेत्र - सागर

अ.क्र	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	मोकलपुर	मोकलपुर	शासकीय वन विभाग मध्यप्रदेश शासन	8/1/2 (S)	32.676	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 8 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग :-	32.676	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 31.10.2024 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग, सागर की स्वीकृत जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित रकवा 25.2764 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में दक्षिण सागर वनमण्डल के अंतर्गत प्राप्त गैर वनभूमि पटवारी हल्का नम्बर-120, खसरा नम्बर-8/1/2(S) रकवा 32.676 हेक्टेयर तहसील-सागर के अंतर्गत ग्राम-मोकलपुर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक-0017/अ/20(3) वर्ष 2023-24 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 द्वारा हस्तांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- नायब तहसीलदार सुरखी के द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।

2. सामुदायिक अधिकार - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0012-2025-FLR-PCCF.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0012-2025-FLR-PCCF, दिनांक 12 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 12th March 2025

No./PCCF/7/0012/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District-Sagar

Tehsil- Sagar

Forest Division- South Sagar

Forest Range- Sagar

Name of Proposed Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.	
Mokalpur	Mokalpur	Government, Forest Department M.P.	8/1/2 (S)	32.676	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 2 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 7 of Proposed Protected Forest Block. South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 8 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 8 to 1 of Proposed Protected Forest Block.
			TOTAL	32.676	

(A) Reason for publication of Notification: -

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India, New Delhi order dated 31-10-2024 (In Principal approval) in lieu of 25.2764 hectare affected forest land under the sanctioned project of Jera Medium Irrigation Project of Bina PMU Water Resource Division Sagar (M.P.), the above mentioned non forest land of 32.676 hectare Patwari Halka No.-120, Khasra No. 8/1/2(S) is transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by Collector Sagar order no. 0017/A/20(3) year 2023-24 dated 06-11-2024 for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other reasons- Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Nayab Tehsildar Surkhi District Sagar are as under:-

1. Rights of individuals:- nil.

2. Rights of communities:- nil.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0095/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी
वनमण्डल - शिवपुरी

तहसील - कोलारस
वन परिक्षेत्र - कोलारस

अ.क्र.	वनमण्डल की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
१	ढकरोरा	ढकरोरा	राजस्व भूमि	408 411 495 501/2	5.10 15.33 3.20 28.45	उत्तर- आरक्षित वनखण्ड अकोदा के मुनारा क्रमांक 54 व 55 के बीच स्थित प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 27 से आरक्षित वनखण्ड अकोदा के मुनारा क्रमांक 59 व 60 के बीच स्थित प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 तक की वन सीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	52.08	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एफ.नम्बर 8 -395/84- एफ सी /दिनांक 16.04.2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत महुअर मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित 340.846 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 52.08 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक 54/2006-07/अ20(3) आदेश दिनांक 12.04.2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक
2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0095-2025-FLR-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0095-2025-FLR-PCCF दिनांक 13 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 13th March 2025

No./PCGF/7/0095/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Shivpuri
Forest Division :- Shivpuri

Tahsil :- Kolaras
Forest Range :- Kolaras

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	<u>Dhakrora</u>	Dhakrora	Revenue Land	408, 411, 495, 501/2	5.10 15.33 3.20 28.45	North- Forest Boundary from Pillar No. 27 of proposed protected forest block situated between pillar no. 54 and 55 of RF block Akoda to Pillar No. 1 of proposed protected forest block situated between pillar no. 59 and 60 of RF block Akoda. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 16 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 20 of Proposed Protected Forest Block. West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 20 to 27 of Proposed Protected Forest Block.
				Total	52.08	

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No F.No. 8-395/84- F C dated 16-04-2004 and in lieu of 340.846 hectare of affected forest land under the sanctioned Mahuar Medium Irrigation Project of Executive Engineer WR Division Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 52.08 hectare transferred or mutated in favor of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No 54/2006-07/A/20(3) dated 12-04-2007 for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Kolaras are as under-

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil.

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0259/2024-FLR-PCCF-Part(1) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक-16 सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - खरगोन

तहसील - बडवाह

वनमण्डल - बडवाह (सामान्य)

वन परिक्षेत्र - बलवाडा

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	लौंदी-बी	राजस्व ग्राम लौंदी-बी	शासकीय चरनोई	245	7.080	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से मुनारा क्र. 19 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से मुनारा क्र. 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 26 तक व 26 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग					7.080	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC 006/2016-BHO/416 दिनांक 27/04/2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना में प्रभावित 21.393 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में खसरा क्रमांक 245 कुल 7.080 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.080 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /1414/वाचक-2/2015 दिनांक 07/10/2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के करण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /1414/वाचक-2/2015 दिनांक 07/10/2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः- उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0259-2024-FLR-PCCF Part (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0259-2024-FLR-PCCF Part (1), दिनांक 10 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 10th March 2025

No./PCCF/7/0259/2024-FLR-PCCF-Part(1) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare, under provisions of Chapter IV of the said Act, applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Khargone
Forest Division - Barwaha

Tehsil - Barwaha
Forest Range - Balwada

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Londi-B	Revenue village Londi-B	Govt. Charnoi Land	245	7.080	North - Artificial Forest boundary from Pillar No. 23 to 19 of Proposed Protected Forest Block. East - Artificial Forest boundary from Pillar No. 19 to 14 of Proposed Protected Forest Block. South - Artificial Forest boundary from Pillar No. 14 to 1 of Proposed Protected Forest Block. West - Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 26 and from 26 to 23 of Proposed Protected Forest Block.
Total					7.080	

(A) Reason for publication of Notification :-

1- In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC 006/2016-BHO/416 dated 27/04/2016, in lieu of 21.393 hectares of affected forest land under the sanctioned project Narmada-Malwa-Gambhir Link Pariyojna, the above mentioned non- forest land of area 7.080 hectares in Khasra Number 245 was transferred/mutated in favour of Forest Department, M.P. Government by Collector Khargone through order no./1414/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 for purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasra-wise details of the recorded rights on the above land as per report No./1414/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 of Collector Khargone (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

- (1) Individual Rights :- There is no Personal Right on the said land.
(2) Community Rights :- There is no Community Right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. 2836-सा.ले.-2025

खरगोन, दिनांक 12 मार्च 2025

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 557/1066535/2023/बी-3/दो, राज्य शासन एतद् द्वारा जिला खरगोन के शहर खरगोन में नवीन थाना जैतापुर खोलने की स्वीकृति दी जाने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1) के खंड (प) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :-

1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये है अपवर्जित करती, और

2. नवीन पुलिस थाना जैतापुर, थाना मेनगांव जो कि जिला खरगोन की तहसील खरगोन में है थाना जैतापुर घोषित करती है, और यह निर्देश देती हैं कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नंबर (3) विनिर्दिष्ट किये गये है, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-

:: सारणी ::

स.क.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
1	2	3
	थाना मेनगांव एवं थाना कोतवाली खरगोन तहसील खरगोन जिला खरगोन	<ol style="list-style-type: none"> 1. जैतापुर 2. मेहरजा 3. नागझिरी 4. बडगांव 5. मांगरूल खुर्द 6. ठिबगांव बुजुर्ग 7. राजपुरा 8. काजलपुरा 9. गोपालपुरा 10. बलवाडी प्रेमनगर 11. बीड खुर्द 12. बीड बुजुर्ग 13. बिजलगांव 14. डोगरगांव 15. खेडी खानपुरा 16. खेडी खुर्द 17. ठिबगांव खुर्द 18. मगरीया 19. सोनीपुरा 20. भोकले कालोनी खरगोन 21. सरस्वती कालोनी खरगोन 22. वृंदावन कालोनी खरगोन 23. रामकृष्ण कालोनी खरगोन 24. विवेकानंद कालोनी खरगोन

		25. गावशिंदे कालोनी खरगोन 26. चौहान की बाडी खरगोन 27. न्यू ऑफीसर कालोनी खरगोन 28. चमेली की बाडी खरगोन 29. डी.आर.पी.लाईन खरगोन 30. जिला अस्पताल खरगोन 31. अवनी ग्राम खरगोन 32. श्रीनाथ कालोनी खरगोन 33. राजवाडा कालोनी खरगोन 34. विष्णुपुरी कालोनी खरगोन 35. गौरीधाम कालोनी खरगोन
--	--	--

No. 2836-S. W.-2025

In exercise of the powers conferred by clause (p) of section 2(1) of the Indian Civil Defense Code, 2023 and in partial modification of the earlier notification proposing local areas specified in the table given below, in view of the approval given by the order No. 557/1066535/2023/B-3/2 of the Government of Madhya Pradesh Home Department Ministry Valbh Bhawan Bhopal for opening a new police station Jaitapur in the city of Khargone in District Khargone, the State Government, hereinby, makes the following amendments to the earlier notification proposing local areas specified in the table given below, from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":-

(1) Excludes local areas from the police station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3) thereof, and

(2) Hereby declares new Police Station Jaitapur, Police Station Mengaon situated in Tehsil Khargone, District Khargone as Police Station Jaitapur and directs that the local area specified in column number (3) of the above table shall be included

:: Table ::

S.No.	Name of the Police Station (with Tehsil & Dist.) from which excluded	Local Areas Name Of Village
1	2	3
	Police station Mengaon and Police station Kotwali Khargone, Tehsil Khargone, District Khargone.	1. Jaitapur 2. Meharja 3. Nagjhiri 4. Badgaon 5. Mangrul Khurd 6. Thibgaon Bujurg 7. Rajpura

1	2	3
		8. Kajalpura 9. Gopalpura 10. Balwadi Premnagar 11. Beed Khurd 12. Beed Bujurg 13. Bijalgaon 14. Dongargaon 15. Khedi Khanpura 16. Khedi Khurd 17. Thibgaon Khurd 18. Magaria 19. Sonipura 20. Bhokle Colony Khargone 21. Saraswati Colony Khargone
		22. Vrindavan Colony Khargone 23. Ramkrishna Colony Khargone 24. Vivekanand Colony Khargone 25. Gawshinde Colony Khargone 26. Chauhan Ki Baadi Khargone 27. New Officer Colony Khargone 28. Chameli Ki Baadi Khargone 29. DRP Line Khargone 30. District Hospital Khargone 31. Avni Gram Khargone 32. Shrinath Colony Khargone 33. Rajwada Colony Khargone 34. Vishnupuri Colony Khargone 35. Gouridham Colony Khargone

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 भव्या मित्तल, कलेक्टर.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

क्र. 485-2025-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शिवपुरी	शिवपुरी	सुश्री प्रिया शर्मा (Jr.), JMFC

No. 485-2025-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in Column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the Column (2) of the Schedule below for the District as specified in Column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shivpuri	Shivpuri	Sushri Priya Sharma (Jr.), JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-103-भू-अर्जन-2025

देवास, दिनांक 24 फरवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में हाटपिपल्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस - 8 के निर्माण के अंतर्गत पंप हाउस 8 के निर्माण के लिए ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे नं. की हाटपिपल्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 8 के निर्माण के अंतर्गत पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसेमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची -1

ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.) में		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	हाटपिपल्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण हेतु	5.850	0	5.850

अनुसूची - 2

हाटपिपल्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण के अंतर्गत पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण अंतर्गत ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण।

ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास

क्र.	कृषकों का नाम व पिता/पति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनसुईया बाई, सोभा पिता नारायणसिंह, नितीन, सोनू, रेणु पिता शिवराजसिंह, हरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह, रविन्द्र पिता रणधीर सिंह जाति कोरकू	227	1.2500	0	1.2500	1.2500	0	1.2500
2	फुलवतीबाई पति अम्बाराम जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर	229/3	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
3	अम्बाराम पिता कसरत जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर	229/2	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050
4	रेवाराम पिता कसरत जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर	229/1	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050
5	मदन पिता अनवरसिंह जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर	226	1.010	0	1.010	0.21	0	0.21
6	सोभाराम पिता गोपाल जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर	225/1	0.850	0	0.850	0.29	0	0.29
	कुल		7.210	0	7.210	5.850	0	5.850

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरगोन
जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र.-0012-2024-25-क्र.-1173-वा.1-री-2025

खरगोन, दिनांक 27 फरवरी 2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरवाव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बेडियापुरा प.ह.न- 38 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य में कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	बेडियापुर 38	18/2/1	0.004
			18/3/1	0.029
			18/5	0.016
			19/1	0.038
			19/2	0.020
			25/2	0.018
			25/1	0.016
			61	0.024
			62	0.018
			63/1	0.017
			65/3	0.027
			66	0.010
			64/2	0.018
			58	0.017
			57	0.019
			50/2	0.011
			50/3	0.015
			50/4	0.011
			49/1	0.026
			28/2	0.015
			49/2/2	0.017
			112/4	0.004
			112/5	0.021
	योग-		23	0.411

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0013-2024-25-क्र.-1123-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. रणगाँव प.ह.न- 26 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	रणगाँव 26	20/1	0.025
			19/1	0.031
			18/2	0.027
			61	0.019
			62	0.003
			363	0.033
			313/5	0.053
			201	0.047
			203	0.009
			280	0.002
			277	0.023
			275	0.022
			270	0.008
			270	0.029
			212/1/2	0.032
			212/1/3	0.017
			213/1	0.010
			254/1	0.023
			253	0.014
			250	0.012
			249	0.006
			245	0.007
			242/1/1	0.006
			242/1/2	0.005
			242/2	0.007
			241/2/1	0.011
			241/2/2	0.012
			240	0.024
			572/4	0.024
			573/3	0.033
			574/1	0.011
			574/1	0.009
			574/3	0.016
			575	0.031
			576/1	0.037
			574/1	0.020
			574/2/1	0.028
			580/1	0.009
			580/2/1	0.016
			580/2/2	0.005
			581/1/2	0.040
			581/3/1	0.005
			582/2	0.002
			583/1	0.012
			583/2	0.014
			584/2/1	0.066
			607/4	0.008
			607/2	0.016
			608/1	0.055
			270	0.026
			269/3	0.041
			269/2	0.006
			561	0.015
			53	1.062

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0014-2024-25-क्र.-1129-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. गाँवसन प.ह.न- 35 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	गाँवसन 35	68	0.091
			69/1	0.023
			69/2	0.031
योग-			3	0.145

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0015-2024-25-क्र.-1157-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (कमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. पीपरी प.ह.न- 13 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	पीपरी 13	669	0.010
			670/2	0.006
			767	0.005
			766	0.013
			764	0.006
			681	0.008
			682	0.034
			683	0.003
			602	0.024
			75/7	0.002
			75/6	0.020
			75/11	0.021
			75/10	0.023
			561/1	0.008
			558/1	0.029
			1058	0.030
			1077/2	0.010
			1076	0.011
			1075/2	0.015
			1089/1	0.002
			1089/2	0.018
			1096	0.005
			1097	0.010
			1093	0.014
			1092	0.004
			1157/1	0.017
			427	0.016
			429/2	0.049
			376	0.090
			374	0.024
		कुल योग-	30	0.527

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0016-2024-25-क्र.-1131-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. इदारपुर प.ह.न- 17 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	इदारतपुरा 17	441	0.025
			439/2/2	0.052
			439/2/1	0.038
			439/1	0.033
			423/2	0.026
			436	0.094
			433	0.051
			430	0.053
			429	0.050
			427	0.056
			426	0.038
			426	0.013
			375/1	0.021
			375/2/2	0.003
			375/2/3	0.024
			375/2/4	0.015
			376/7	0.022
			376/8	0.029
			376/12	0.059
			355	0.011
			351/3	0.040
			351/2	0.042
			351/4	0.010
			356/1	0.005
			320/1/1/2/1	0.062
			316/4	0.002
			316/3	0.046
			314	0.023
			315/1	0.015
			306	0.005
			305/1/1	0.005
			274/2	0.024
			274/1	0.024
			273/2	0.032
			273/1	0.027

			272/1	0.002
			270/4	0.027
			265/3/1	0.038
			439/2/2	0.015
			444/1	0.036
			443	0.026
			436	0.008
			437	0.030
			455	0.018
			454	0.029
			453/1	0.011
			453/2	0.027
			476/2	0.037
			477/2	0.022
			474	0.031
			473	0.006
			426	0.011
			375/1	0.034
			374/1/1	0.001
		कुल योग-	54	1.484

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0017-2024-25-क्र.-1133-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क्र.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. टेमला प.ह.न- 25 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भावित्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	टेमला 25	26/1/1	0.004
			26/2/2	0.039
			26/1/2	0.017
			47/1	0.023
			48	0.023
			49/14	0.012
			49/9	0.047
			57	0.007
			56	0.007
			156	0.006
			155	0.009
			133/2	0.022
			133/1	0.027
			125/1	0.055
			127/3	0.009
			118/2/1	0.046
			118/2/3	0.023
			118/3	0.031
			237/1/1	0.031
			237/1/2	0.022
			237/2	0.031
			240	0.019
			312	0.004
			423	0.046
			421/1	0.004
			420	0.006
			419	0.010
			323	0.025
			334/3	0.039
			335	0.049
			336/2	0.007
			341	0.013
			342	0.019
			381/1	0.014
			380/3	0.003
			383	0.013
			386	0.024

			127/3	0.027
			128/3	0.057
			129/1	0.017
			129/2	0.018
			129/3	0.023
			312	0.065
			311	0.004
			310	0.012
			307/2	0.007
			308	0.006
			306	0.005
			274	0.017
			282	0.017
			280/2	0.007
			280/1	0.003
			283	0.002
			284/2	0.021
			284/1	0.024
			286/6	0.005
			285	0.016
			288	0.034
		योग-	58	1.173

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0018-2024-25-क्र.-1135-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. छालपा प.ह.न- 17 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	छालपा 17	317	0.040
			316	0.053
			314/2/2	0.037
			310	0.005
			309	0.018
			308	0.016
			307/1	0.033
			306/1	0.020
			293	0.022
			291	0.034
			287/2	0.027
			287/1	0.039
			281	0.050
			279/1	0.032
			279/2/1	0.059
			278	0.082
			287/2	0.021
			264/1	0.027
			264/2	0.017
			266	0.024
			185/2	0.010
			184	0.010
			183	0.016
			181/2	0.006
			182/2	0.003
			182/1	0.020
			175	0.010
			45	0.016
			28	0.747

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0019-2024-25-क्र.-1137-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क्र.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बेजापुरा प.ह.न- 38 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	बेजापुरा 38	20	0.050
			21/2	0.030
			21/3	0.017
			21/5	0.032
			21/6	0.034
			22/3/2	0.037
			22/3/1	0.002
			27/2	0.013
			19/2	0.023
			19/3	0.046
			22/2/1	0.010
			22/1/1	0.008
			19/4	0.027
			23/1	0.018
			24	0.021
			16/2/1	0.006
			16/1/1	0.039
			16/3	0.014
			12/2	0.036
		योग-	19	0.463

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0020-2024-25-क्र.-1139-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरवावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (कमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. रोमचिचली प.ह.न- 37 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	रोमचिचली 37	32/1/3	0.034
			32/1/5	0.016
			32/1/7/2	0.027
			35/4	0.064
			36/2	0.019
			36/3	0.025
			39/1/1	0.032
			39/1/3	0.031
			32/1/6	0.019
			94/3	0.025
			94/2	0.059
			94/1	0.032
			96/1	0.022
			97/1	0.022
			99/2	0.006
			160/1/1	0.023
			159/1/2	0.004
			159/1/3	0.013
			159/2/1	0.010
			159/1/4	0.011
			159/2/2/1	0.043
			159/2/2/2	0.013
			158/2	0.017
			99/4	0.019
			99/1	0.012
			90/3/2	0.030
			90/3/1	0.012
			90/1/2	0.017
			90/1/1	0.032
			107/2	0.032
			107/4	0.016
			107/1	0.019
			75/10	0.013
			75/8	0.009
			75/5	0.004
			75/3	0.032
			75/2	0.025
			74/3	0.004
			74/2	0.022
			74/1	0.017
			75/4	0.012
			73	0.005
			111/1	0.007
			112	0.112
			117/5	0.016
			117/6	0.048
			117/4	0.014
			120/1	0.044
			123/8	0.014
			123/4	0.038
			123/3	0.024
			128/1	0.040
		कुल योग-	52	1.256

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0021-2024-25-क्र.-1169-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम- जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बोगरगॉव खुर्द प.ह.न- 26 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	बौरगॉव खुर्द 26	66/1	0.029
			66/2	0.029
			61/2	0.018
			61/3	0.012
			67	0.036
			68	0.027
			97	0.030
			95	0.009
			94	0.031
			93/1	0.019
			93/2	0.040
			96/1	0.003
			96/2	0.022
			85	0.006
			14	0.311
कुल योग-				

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0022-2024-25-क्र.-1171-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (कमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. सिनखेडा प.ह.न- 34 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

यदि कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	सिनखेडा 34	12/4	0.018
			12/3	0.040
			15/1/1	0.025
			15/1/2	0.002
			15/1/3	0.034
			39/7	0.002
			39/4	0.016
			39/5	0.032
			37/1	0.010
			37/2	0.015
			37/3	0.014
			36/1/1	0.005
			36/1/2	0.005
			36/2	0.006
			160/1	0.008
			160/2	0.024
			163/1/1	0.014
			163/1/2	0.004
			163/1/3	0.004
			163/2/1	0.018
			163/2/2	0.005
			163/3/1	0.005
			176	0.017
			173	0.023
			175	0.008
			174/2	0.023
			174/1	0.003
			406	0.023
			408	0.012
			410/1/1	0.020
			410/3/4	0.005
			410/3/3	0.005
			410/3/2	0.005
			410/3/1	0.005
			412/1/2	0.011
			412/1/1	0.009
			412/2/5	0.003
			412/2/4	0.004
			412/2/3	0.004

			412/2/2	0.004
			412/2/1	0.004
			405/1/2	0.013
			405/2/2	0.008
			402/2	0.008
			402/1	0.012
			401/3	0.013
			401/2	0.013
			401/1	0.015
			400/1/1	0.015
			400/3	0.030
			400/2	0.030
			374/3	0.063
			369/1/1	0.002
			368/1	0.042
			363/1/1	0.014
			362/2	0.014
			361/1/1	0.006
			360/2/3	0.003
			360/2/2	0.018
			358/1	0.036
			321/5	0.024
			322/2	0.011
			321/6/1	0.008
			321/7	0.016
			322/1/2	0.014
			322/1/1	0.036
			320/1/1	0.006
			315	0.003
		कुल योग-	68	0.967

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0023-2024-25-क्र.-1155-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क्र.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. पोखरखुर्द प.ह.न- 19 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	पोखरखुर्द/19	24/4	0.020
			27/1/1	0.048
			27/2/1	0.035
			03	0.103

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

रा.प्र.क्र.-0024-2024-25-क्र.-1147-वा.1-री-2025

प्रारूप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. डोंगरचिचली प.ह.न- 39 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

यदि कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	डोंगरचिचली/39	8/1	0.028
			8/2	0.024
			8/3	0.032
			8/4	0.021
			31/2	0.032
			50/1	0.016
			50/2	0.009
			50/3	0.011
			50/4	0.013
			50/5	0.009
			49/1/1	0.019
			49/2	0.035
			49/4/2	0.016
			49/7	0.033
			14	0.298

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

बी.एस. कलेश, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.-1372-री.1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0157-ब-121-2024-25

भीकनगांव, दिनांक 18 मार्च 2025

प्ररूप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 351/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 24.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोडिया उदवहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-01 एवं जी.एम.-1/एल.एम.-14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरिया, प.ह.नं.- 73, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- उमरिया, प.ह.नं.- 73,	1	0.001
			2/1	0.002
			2/2	0.002
			3/1	0.007
			3/4/2	0.009
			8/2	0.002
			6/1	0.011
			6/2	0.011
			24/1	0.009
			32/1	0.001
			32/2	0.006
			33/4	0.006
			34	0.012
			35	0.011
कुल योग			14	0.090

क्र.-1374-री.1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0155-ब-121-2024-25

प्ररूप-घ
{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 350/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 24.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन मार्गको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-01 एवं आर.एम.-02 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74,	32/2	0.024
			10/4	0.006
			4/11	0.012
			4/4	0.012
			4/10	0.003
			4/6	0.005
			4/2	0.008
कुल योग			07	0.070

क्र.-1376-री.1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0156-ब-121-2024-25

प्ररूप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 349/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 24.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक आर.एम.-02 व जी.एम.-01 एवं जी.एम.-1/एल.एम.-14 में जल परिवहन हेतु ग्राम-रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72,	66/2	0.004
			65	0.005
			64/2	0.039
			77	0.003
			76/1	0.056
			76/3	0.037
			11	0.004
			10/1/1/3	0.007
			9/2	0.010
			2/1/1/1	0.003
			1	0.002
			5/1	0.006
			5/2	0.002
			कुल योग	

क्र.-1392-री.1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0165-ब-121-2024-25

प्ररूप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 637/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने छोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20/79, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20/79,	95/4/2	0.003
			95/4/3	0.001
			95/5/2	0.004
			95/3/4	0.001
			95/3/1	0.001
			95/3/3	0.001
			95/2/2	0.003
			96/1/1	0.003
			95/3/2	0.001
			95/2/1	0.003
			93/2	0.001
			93/5	0.002
			93/4	0.002
			117	0.004
			116/3/2	0.016
			116/3/1	0.001
			125/1/1/2/5	0.009
			125/2/1/2/1/2	0.001
			125/2/1/2/1/5	0.003
			125/1/2/1/1/2	0.002
125/4	0.003			
125/2/4	0.002			
कुल योग			22	0.067

क्र.-1394-री.1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0161-ब-121-2024-25

प्ररूप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 627/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रेहगांव, प.ह.नं.- 25/84, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रेहगांव, प.ह.नं.- 25/84,	116/1	0.025
			116/3	0.004
			117/2	0.023
कुल योग			03	0.052

क्र.-1396-री.1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0167-ब-121-2024-25

प्ररूप-घ
{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 652/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-04 एवं 05 व जी.एम.-5/एल.एम.-3 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सहेजला, प.ह.नं.- 22/81, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सहेजला, प.ह.नं.- 22/81	239/4	0.014
			239/3	0.007
			239/1	0.006
			237/2	0.021
			236/2	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सहेजला, प.ह.नं.- 22/81	236/1	0.018		
			235/2	0.002		
			231/2	0.004		
			231/1	0.007		
			192/320/2/2	0.011		
			192/320/2/4	0.012		
			192/320/2/3	0.009		
			192/320/3	0.005		
			192/320/2/1	0.006		
			190/2	0.011		
			185/2	0.001		
			189	0.012		
			186/2	0.007		
			186/1	0.006		
			187/1	0.002		
			13/4	0.011		
			12/2	0.008		
			12/1/1	0.008		
			11	0.009		
				0.008		
			10/1	0.004		
				0.008		
			9/1	0.008		
			8/1	0.009		
			7/1	0.006		
			6/1	0.005		
			5/1	0.010		
			6/3	0.008		
			211/5/3	0.013		
			209/1/2	0.004		
			209/1/1	0.020		
			209/2	0.005		
			8/5	0.009		
			7/3	0.003		
			7/4	0.004		
			3/4/2	0.003		
			24/1	0.008		
			24/2	0.001		
			25/2	0.006		
			26/1/1	0.001		
			26/1/2	0.005		
			26/1/3	0.001		
			2/12	0.006		
			27/2	0.004		
				कुल योग	47	0.373

क्र.-1398-री.1-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0164-ब-121-2024-25

प्ररूप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 642/रीडर/भू-अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमैन पाईप नहर क्रमांक-05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिटनेरा, प.ह.नं.- 02/68, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बिटनेरा, प.ह.नं.- 02/68,	312/4	0.008
			313	0.007
			314/2	0.007
			315/2/2	0.012
			315/5	0.003
			315/6	0.008
			309/1	0.007
			309/4	0.002
			329/3	0.004
			329/2	0.004
			329/1	0.001
			430	0.002
			436/7/1/2	0.002
			436/7/1/1	0.001
			436/7/2	0.001
			437/6	0.001
			428	0.003
			438/4	0.002
			439/5	0.005
			418/1	0.004
कुल योग			20	0.084

आकांक्षा (करोटिया) अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प.क्र.-56-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 18 मार्च 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-(म0प्र0शासन/निजी खाता)

- (क) जिला :- सतना
(ख) तहसील :- बिरसिहपुर
(ग) ग्राम :- पगारकला
(घ) क्षेत्रफल :- 0.7190 हेक्टेयर

पेज नं. 1

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिदयतसकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे0में0
1	ददुवा उर्फ रामशिरोमणि पिता अवध उर्फ रामअवध ब्राम्हण सा0 पगारकला भूमि स्वामी	532	0.0070
2	शिवकुमार पिता रामाधार पयासी सा0 पगारकला भूमि स्वामी	533	0.0690
3	रणबहादुर पिता जगन्नाथ सिंह सा0 पगारकला भूमि स्वामी	540	0.0080
4	जगन्नाथ पिता रामेश्वर प्रसाद ब्रा0 सा0 पगार कला भूमि स्वामी	543/1	0.0800
		546/1	
	लखनलाल पिता जगन्नाथ ब्रा0 सा0 पगार कला भूमि स्वामी	543/2	
		546/2	
5	अशोक कुमार पिता रामाधार पयासी सा0 पगारकला भूमि स्वामी	544	0.0410
		545	
6	मंगलप्रसाद पिता शिवदर्शन ब्रा0 सा0 पगारकला भूमि स्वामी	548	0.0260
7	शंकर प्रसाद पिता शिवदर्शन ब्रा0 सा0 पगारकला भूमि स्वामी	549	0.0100

8	राजबहादुर सिंह पिता जगन्नाथ सिंह सा० पगारकला भूमि स्वामी	1039 / 1	0.1980
		1040 / 1	
	रणबहादुर सिंह पिता जगन्नाथ सिंह सा० पगारकला भूमि स्वामी	1039 / 2	
		1040 / 2	
	मु० मन्नी बेवा विजय बहादुर सिंह ,धीरेन्द्र,बीरेन्द्र पिता विजय बहादुर सिंह सा० पगारकला भूमि स्वामी	1039 / 3	
		1040 / 3	
9	ब्रजमोहन पिता बल्देव प्रसाद सा० बिरसिंहपुर भूमि स्वामी	1055	0.0640
10	रामकुण्डल पिता जगन्नाथ ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी	1056	0.0950
11	ब्रजकिशोर पिता बैजनाथ ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी	1177 / 1055 6 / 1 / 1	0.0470
12	रामकुण्डल पिता जगन्नाथ ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी	1057	0.0260
13	रामखेलावन ,चक्रधर पिता रामदीन सा० पगारकला भूमि स्वामी	1097 / 1	0.0180
14	रामजी पयासी पिता रामगणेश ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी	1146 / 2 / 1	0.0130
15	रामजी पयासी पिता रामगणेश ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी	1147	0.0170
		योग	0.7190

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्रि पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत 'मझगवॉ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-562-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमिशुकी उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :- (म0प्र0शासन/निजी खाता)

- (क) जिला :- सतना
 (ख) तहसील :- बिरसिहपुर
 (ग) ग्राम :- सुजावलकला
 (घ) क्षेत्रफल :- 2.3790 हेक्टेयर

पेज नं. 1

स.क्र.	कास्तकार का नाम मय वल्लिदयतसकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकबा हे0में0
1	राघवेन्द्र सिंह पिता रामपाल सिंह पता सुजावल कला सा0 देह भूमि स्वामी	23	0.1360
2	नारेन्द्र प्रताप सिंह पिता स्वराजसिंह जाति क्षत्रिय पता सा0 सुजावलकला भूमि स्वामी	30/2	0.0240
3	ब्रम्हानंद त्रिपाठी पिता श्रीनरेश त्रिपाठी पता सा0 सुजावलकला भूमि स्वामी	33/1	0.0770
4	राजेशप्रसाद पिता रामलाल द्विवेदी पता सा. देह भूमि स्वामी	51/3	0.0200
5	शिवलाल पिता लक्ष्मण चमार सा.बमुरहा भूमि स्वामी	65/2	0.0380
6	द्वारिका प्रसाद पिता लक्ष्मण चमार सा.बमुरहा भूमि स्वामी	65/3	0.0390
7	फुलझरिया बेवा गंगाप्रसाद,रामकिषोर ,राजलालन,दादनप्रसाद,अवधेशप्रसाद,दिनेशप्रसाद,पिता गंगाप्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	96/1	0.1050
8	कमलादेबी उर्फ ममता पत्नी युगलकिषोर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	98/1/2	0.0690
9	रामखेलावन पिता लोकनाथ जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	98/1/3	0.0440

10	रामभगत पिता रामदत्त तिवारी पता सा. चूँद भूमि स्वामी	161/1/1/1 /1	0.0860
	गोविन्दप्रतापसिंह पिता बलराम सिंह पता सा.सुजावल कला भूमि स्वामी	161/1/1/1 /2	
	अजयसिंह पिता विष्णुनाथसिंह पता सा. सुजावल कला भूमि स्वामी	161/1/1/1 /3	
	ज्ञानेन्द्र सिंह पिता रामपाल सिंह बघेल पता सा. सुजावल कला भूमि स्वामी	161/1/1/1 /4/1	
	रामभगत पिता रामदत्त तिवारी पता सा. चूँद भूमि स्वामी	161/1/1/1 /4/2	
	ज्ञानेन्द्र सिंह पिता रामपाल सिंह बघेल पता सा. सुजावल कला भूमि स्वामी	161/1/1/2	
	बेटोबाई पत्नी रामभगत ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	161/1/2	
	कामता प्रसाद पिता रामदत्त तिवारी पता सा. चूँद भूमि स्वामी	161/2	
11	रामभगत,संतोषकुमार पिता हरप्रसाद बुक्ला जाति ब्रा. पता सा. सुजावल कला भूमि स्वामी	180/1/1	0.0620
12	बूटाबाई पुत्री बाल्मीक पत्नी विष्णुप्रसाद,राजामइया पिता बाल्मीक व छोटीबाई उर्फ मुन्नीबाई पत्नी बाल्मीक मु छोटी बेवा बाल्मीक जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	181	0.0900
13	राजामइया तनय बाल्मीक प्रसाद जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	182	0.0400
14	गहवर सिंह पिता रणछोर सिंह सोमवंशी पता सा. चूँद भूमि स्वामी	192/1	0.0530
15	मु० धिरजिया बेवा रामध्यान .मु०गीता बेवा संतोषकुमार .पूजा, आरती पुत्री संतोषकुमार ना.बली सरमा गीता पत्नी संतोषकुमार पता सा० देह भूमि स्वामी	194/1	0.0770
16	नारेंद्रप्रताप सिंह पिता स्वराज सिंह पता सा० सा० देह भूमि स्वामी	194/2	0.0770
17	लक्ष्मीकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि स्वामी	196/1/1	0.0360
18	चन्द्रवती पत्नी नर्मदा प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि स्वामी	196/1/2	0.0070
19	उमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि स्वामी	196/2/3	0.0140
20	राघवेन्द्र सिंह पिता गिरजा सिंह जाति सोमवंशी पता सा० चूँद भूमि स्वामी	197/2	0.1080
21	उमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि स्वामी	201/1	0.0020
22	रमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि स्वामी	202/1/1	0.1010
23	विजयवहादुर सिंह पिता गहवर सिंह सोमवंशी सा. चूँद श्रीमती सरोजसिंह पति जगदीश सिंह सोमवंशी पता सा. चूँद खर्द भूमि स्वामी	202/2	0.1030
24	लक्ष्मीकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि स्वामी	208/1/1/1	0.0620
25	रमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि स्वामी	208/1/1/2	0.0890
26	उमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि स्वामी	208/1/1/3	0.0700
27	श्रीमती सरोजसिंह पत्नी जगदीश सिंह सोमवंशी पता सा. चूँद भूमि स्वामी	208/2	0.0280
28	दिनेशप्रसाद वन्द रामप्रसाद नबावली मां सर. दच्यूबाई पति रामप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ	211	0.0290
29	मु० सरोजसिंह पत्नी जगदीशसिंह .पवनसिंह,प्रवीणसिंह पिता जगदीशसिंह सोमवंशी पता सा. चूँद भूमि स्वामी	212	0.0860
30	मु० सरोजसिंह पत्नी जगदीशसिंह .पवनसिंह,प्रवीणसिंह पिता जगदीशसिंह सोमवंशी पता सा. चूँद भूमि स्वामी	213	0.0840
31	प्रेमलाल तनय लोकनाथ जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	214	0.1640
32	उदयमान सिंह पिता रामलाल सिंह सोमवंशी पता सा. चूँद भूमि स्वामी	215	0.0720
33	परमातमादीन पिता बेनीबहादुर सिंह पता सा. चूँद भूमि स्वामी	216	0.1030
34	सुरेन्द्र सिंह पिता स्वराज सिंह पता सुजावल कला भूमि स्वामी	282/1	0.0600
35	धीरेन्द्र सिंह पिता स्वराज सिंह पता सुजावल कला भूमि स्वामी	282/2	0.0870
36	सुरेन्द्र सिंह पिता स्वराज सिंह पता सुजावल कला भूमि स्वामी	283/1	0.0370
		योग	2.3790

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंगम क.3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निम्नी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-563-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमिश्की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची**भूमि का वर्णन :-**(म0प्र0शासन/निजी खाता)

- (क) जिला :- सतना
(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम :- बांधी
(घ) क्षेत्रफल :- 4.4970 हेक्टेयर

पेज नं. 1

स.क्र.	कास्ताकार का नाम मय वल्लिदयत सकूनत	खसरा क्र.	अर्जित रकवा हे0में0
1	रामेश्वर प्रसाद, अयोध्याप्रसाद, कौशलप्रसाद, छोटेलाल पिता केदारप्रसाद गुप्ता पता सा0 देह भूमि स्वामी	327/1	0.0210
2	मुन्नी बेवा रामशरण, ज्ञानेन्द्र पिता रामशरण, हाकिम पिता रामशरण, विकास पिता रामशरण जाति कोटवार पता सा. बांधी भूमि स्वामी	327/2/2/1	0.0160
3	मनराज, बृजराज पिता शिवनाथ जाति काछी पता सा0 देह भूमि स्वामी	327/2/2/2	0.0200
4	मु.अनंती बाई बेवा ब्रजमोहन शुभकरण, गोकरण, राजकरण, पिता ब्रजमोहन, गिरजाशरण, त्रिभुवन पिता बैजनाथ, सुखरनिया, कलावती पुत्री बैजनाथ, पारवती बेवा जगनंदन, रामकली बेवा भूरा, जमुना, त्रिवेणी बउरा पिता हरिहर श्यामलाल, जर्नादन, सूरज पिता गंगा बिटुलिया पुत्री गंगा युवराज पिता रामप्रताप, रामचंद्र पिता छोटेलाल हीरालाल पिता रामसजीवन रामकिशोर, सीताप्रसाद पिता मोतीलाल जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमि स्वामी	342	0.0920
5	जर्नादन प्रसाद द्विवेदी पिता गंगा प्रसाद द्विवेदी पता सा. बांधी भूमि स्वामी	343/1	0.0620
6	मु. ओमवती पत्नी लालभाई जाति ब्रा.. पता सा0 देह भूमि स्वामी	343/2	0.0820
7	जर्नादन प्रसाद द्विवेदी पिता गंगा प्रसाद द्विवेदी पता सा. बांधी भूमि	344	0.0050
8	हर्षित पिता शुभकरण, मार्तण्ड, हेमंत पिता गोकरण, मृत्युन्जय, सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमि स्वामी	365	0.0410
9	अभयराज सिंह पिता धर्मपाल सिंह जाति वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	366	0.0790
10	अभयराज सिंह पिता धर्मपाल सिंह जाति वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	367	0.0050
11	महेन्द्र सिंह पिता इन्द्राज सिंह, सुवरन सिंह पिता इन्द्राज सिंह जाति सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	370/1	0.0030
12	सूरज सिंह पिता स्वामीदीन सिंह सा0 देह भूमि स्वामी	373/1	0.0080
13	अरुण सिंह पिता स्वामीदीन सिंह सा0 देह भूमि स्वामी	373/2	0.0120

तहसील - बिरसिंहपुर ग्राम बांधी पेज नं. 2			
14	मु. सुशीला बेवा ददन सिंह 1/3, लोकजीत सिंह पिता ददन सिंह 1/3, विष्णुसिंह पिता ददन सिंह 1/3 पता सा0 देह भूमि स्वामी	376	0.0280
15	झल्ली बाई बेवा शत्रुजीत सिंह,शंकरराज,राजेश,बृजेश रितेश पिता शत्रुजीत सिंह,स्वराज सिंह,राजबहादुर सिंह,कैलाश पिता भोंदू सिंह राजेश्वरसिंह पिता चंदन सिंह सा0 बांधी भूमि स्वामी	378/1	0.0550
	अखिलेश सिंह पिता शत्रुजीत सिंह सा0 बांधी भूमि स्वामी	378/2/1	
	राजबहादुर सिंह पिता भोंदू सिंह सा0 बांधी भूमि स्वामी	378/2/2	
16	मु. सुशीला बेवा ददन सिंह लोकजीत सिंह, विष्णुसिंह पिता ददन सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	406	0.0060
17	मु. सुशीला बेवा ददन सिंह लोकजीत सिंह, विष्णुसिंह पिता ददन सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	407	0.0910
18	रामनरेश पिता भइयाराम जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमि स्वामी	408	0.0770
19	सुरतिया पत्नी लल्लूप्रसाद जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमि स्वामी	410	0.0920
20	महेन्द्र सिंह, सुवरन सिंह पिता इन्द्राज सिंह जाति सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	411/1	0.0370
21	लालमन पिता अरजलिया जाति बड़ई पता सा0 देह भूमि स्वामी	412	0.0180
22	रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी	450/2	0.0050
23	रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह, मु. ललिता सिंह बेवा जयलाल सिंह राजबहादुर, रामसिंह, रावेन्द्रसिंह पिता जयलाल सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	451/1/1	0.0790
24	राजेन्द्रसिंह, मान सिंह भगवानसिंह, गणेशसिंह पिता लखनलाल सिंह, संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह मु. ललितासिंह बेवा जयलालसिंह, राजबहादुर पिता रामसिंह रावेन्द्रसिंह पिता जयलाल सिंह, संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह घनश्यामसिंह, बलराम सिंह, राममूरत, जगराम सिंह शोभनाथ सिंह पिता जयपाल सिंह मान सिंह राजेन्द्रसिंह भगवान सिंह गणेशसिंह पिता लखनलालसिंह अभयराजसिंह पिता धरमपालसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	477/1	0.0160
25	राजेन्द्रसिंह, मान सिंह भगवानसिंह, गणेशसिंह पिता लखनलाल सिंह, संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह मु. ललितासिंह बेवा जयलालसिंह, राजबहादुर पिता रामसिंह रावेन्द्रसिंह पिता जयलाल सिंह, संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह घनश्यामसिंह, बलराम सिंह, राममूरत, जगराम सिंह शोभनाथ सिंह पिता जयपाल सिंह मान सिंह राजेन्द्रसिंह भगवान सिंह गणेशसिंह पिता लखनलालसिंह अभयराजसिंह पिता धरमपालसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	478/1	0.0290
26	फूलबाई सिंह बेवा रामविश्वाससिंह, साधनासिंह पिता रामविश्वाससिंह राधासिंह पिता रामविश्वाससिंह सा. बांधी भूमि स्वामी	482/1/1	0.0880
	अयोध्याप्रसाद पिता केदार प्रसाद गुप्ता पता सा. बांधी भूमि स्वामी	482/1/2	
	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	482/2/1	
	मु. ओमवती पत्नी लालभाई जाति ब्रा. पता सा0 देह भूमि स्वामी	482/2/2	
	भागवत प्रसाद पिता रामचन्द्र बानौ पता सा0 देह भूमि स्वामी	482/3/1	
	केदारप्रसाद पिता बैजनाथ गुप्ता पता सा. बांधी भूमि स्वामी	482/3/2	
27	शिवनाथ, बउरा उर्फ जगन्नाथ तनय रमइया काछी पता सा0 देह भूमि स्वामी	488	0.0100

तहसील - बिरसिंहपुर ग्राम बांधी पेज नं. 3			
28	शिवनाथ,बउरा उर्फ जगन्नाथ तनय रमइया काछी पता सा० देह भूमि स्वामी	489	0.1970
29	हषित पिता शुभकरण जाति ब्रा. ,मार्तण्ड,हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय,सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा. बांधी . भूमि स्वामी	671/1	0.0340
30	गोकरण प्रसाद द्विवेदी पिता बृजमोहन प्रसाद द्विवेदी पता सा. बांधी भूमि स्वामी	673/2	0.0050
31	हषित पिता शुभकरण जाति ब्रा. ,मार्तण्ड,हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय,सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा. बांधी . भूमि स्वामी	674	0.0080
32	हषित पिता शुभकरण जाति ब्रा. ,मार्तण्ड,हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय,सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा. बांधी भूमि स्वामी	675	0.0540
33	रामकुमार पिता मैका जाति नाई पता सा. कोनैता भूमि स्वामी	676	0.0340
34	बद्री सिंह पिता शीतल सिंह राठौर पता सा. पगार खुर्द भूमि स्वामी	677	0.0070
35	बद्री सिंह पिता शीतल सिंह राठौर पता सा. पगार खुर्द भूमि स्वामी	678	0.0400
36	बेवा रणमत सिंह ,वीरेन्द्र,जयवीर,बलवीर ,राजेन्द्र,प्रीती, पिता रणमत सिंह,प्रियंका सिंह बेवा केदार सिंह रितिक,प्रिन्स,पिता केदार सिंह,लखपतिसिंह पिता राममिलन सिंह, पता सा. बांधी भूमि स्वामी	679	0.0600
37	रामेश्वरसिंह तनय रामगरीबसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी	680/1	0.0360
38	हषित पिता शुभकरण जाति ब्रा. ,मार्तण्ड,हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय,सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा. बांधी भूमि स्वामी	692	0.0770
39	काशीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. बांधी भूमि स्वामी	693	0.0310
40	काशीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. बांधी . भूमि स्वामी	710	0.0170
41	अरुण सिंह पिता नीलकंठ जाति सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी	711/1	0.0400
42	सुखेन्द्र सिंह पिता नीलकंठ जाति सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी	711/2	0.0400
43	प्रिज्जा कुशवाहा पत्नी राजेश कुशवाहा पता सा. खुटहा भूमि स्वामी	716	0.1920
44	प्रिज्जा कुशवाहा पत्नी राजेश कुशवाहा पता सा. खुटहा भूमि स्वामी	717	0.0050
45	चुनकवा वल्द रामप्रताप जाति काछी सा. देह भूमि स्वामी	733	0.0500
46	गेदिया बेवा ददुआ कुशवाहा 1/3,लालजी कुशवाहा पिता ददुआ1/3,रामजी कुशवाहा पिता ददुआ कुशवाहा1/3 पता सा. बांधी भूमि स्वामी	735	0.0380
47	गेदिया बेवा ददुआ कुशवाहा 1/3,लालजी कुशवाहा पिता ददुआ कुशवाहा 1/3,रामजी कुशवाहा पिता ददुआ कुशवाहा 1/3 पता सा. बांधी भूमि स्वामी	736	0.0340
48	गेंदलाल पिता रामावतार ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	739	0.0790
49	गोरवा वल्द सुखदेवना धोबी पता सा.देह भूमि स्वामी	739/1460	0.0260
50	राजधर पिता सदाशिव 1/2,राजेश पिता सदाशिव 1/2 पता सा. बांधी भूमि स्वामी	740	0.0460
51	राजधर पिता सदाशिव 1/2,राजेश पिता सदाशिव 1/2 पता सा. बांधी भूमि स्वामी	741	0.0060
52	अमर सिंह पिता जगतदेव सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी	851	0.0560
53	अमर सिंह पिता जगतदेव सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी	852	0.0540
54	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	854/1	0.3170
55	प्रभाकर सिंह पिता रामेश्वर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	857	0.0260
56	प्रभाकर सिंहपिता रामेश्वर सिंह पता,सा.देह भूमि स्वामी	859	0.0420
57	श्रीमती भूरी पत्नी जगमोहन कुशबाहा सा० देह भूमि स्वामी	860	0.0380

तहसील - बिरसिंहपुर ग्राम बांधी पेज नं. 4			
58	कामता पिता रामधनी काछी सा0 देह भूमि स्वामी	1163/1	0.0760
59	शम्भू पिता रामधनी काछी सा0 देह भूमि स्वामी	1163/2	0.0400
60	शान्ती सिंह पत्नी इन्द्राजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	1164/1	0.1040
61	खेल्ली बाई पत्नी सुभाषचन्द्र काछी पता सा.चेंदई भूमि स्वामी	1172/1	0.0080
62	खेल्ली बाई पत्नी सुभाषचन्द्र काछी पता सा.चेंदई भूमि स्वामी	1173/1	0.0890
63	शान्ती सिंह पत्नी इन्द्राजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	1174/1/2	0.1010
64	शान्ती सिंह पत्नी इन्द्राजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	1175/1/1	0.0100
65	खेल्ली बाई पत्नी सुभाषचन्द्र काछी पता सा.चेंदई भूमि स्वामी	1175/1/2	0.0240
66	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1176	0.0370
67	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1177	0.0520
68	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1178	0.0100
69	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1179	0.0110
70	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1180	0.0420
71	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1181	0.0160
72	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1182	0.0040
73	बैजनाथ,विश्वनाथ तनय परदेशी चमार पता सा.सिरहटा भूमि स्वामी	1231	0.0640
74	वीरेन्द्र कुमार तनय रणमत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	1232	0.0020
75	वीरेन्द्र कुमार तनय रणमत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	1233	0.0370
76	दादूभाई वल्द दुलीचंद काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1234	0.0060
77	वृन्दावन वल्द दुलीचंद काछी पता सा. देह भूमि स्वामी	1241/1	0.1370
	राजबहादुर सिंह तनय दुलीचंद काछी पता सा. चेंदई भूमि स्वामी	1241/2	
78	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1242	0.0300
79	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि	1243	0.0020
80	छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1245	0.0560
81	विधाता-सुखी-देवा-बुनके भगवानदास-मैयालाल उर्फ रामानंद पिता चुनके जाति काछी पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1246	0.0190
82	रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्रा. पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1247/1	0.0190
83	राजकुमार पाण्डेय पिता बेचीलाल पाण्डेय 1/2,कौशल किशोर पाण्डेय पिता बेचीलाल पाण्डेय 1/2, पता सा. बांधी भूमि स्वामी	1248	0.0070
84	रज्जीदेवी पत्नी रामसरोज पाण्डेय पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी	1288	0.0400
85	रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्राम्हण सा. बांधी भूमि स्वामी	1289	0.0980
86	रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्राम्हण सा. बांधी भूमि स्वामी	1290	0.0270
87	रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्राम्हण सा. बांधी भूमि स्वामी	1291	0.0270
88	कुबेर सिंह पिता गुलाब सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	1300/3	0.0140
89	अरुण शर्मा पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी रामचंद्र पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी	1301	0.0320
90	तैरसिया बेवा रामसरोज जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ 1/2 भूमि स्वामी, छेदीलाल पिता रामसरोज पता सा. मालमऊ 1/2 भूमि स्वामी	1302/2	0.0400
91	गंगाप्रसाद पिता बैजनाथ जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी	1302/3	0.0400
92	लालमन,राजमन,अनीता पिता रामसिया पता सा. देह भूमि स्वामी	1303/1	0.0530
93	गंगाप्रसाद पिता बैजनाथ जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी	1303/4	0.0190
94	लालमन,राजमन,अनीता पिता रामसिया पता सा. देह भूमि स्वामी	1304	0.0660
95	अशोक कुमार पिता भाईलाल जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी	1307/1	0.0190
96	अरुण शर्मा पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी रामचंद्र पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी	1308	0.0340
97	कुबेर सिंह पिता गुलाब सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	1309	0.0430
98	कारोदेवी पत्नी कुबेर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	1311	0.0160
99	मु. लीला देवी बेवा भाईलाल, अशोक कुमार, विनोद कुमार पिता भाईलाल ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी	1312	0.0640
100	अशोक कुमार पिता भाईलाल ब्रा0 सा0 मालमऊ भूमि स्वामी	1313/1/1	0.0960
		योग	4.4970

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्रि पक्का बांध उपसभाग क3 देवलौद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत 'मन्नगवों शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-01-भू-अर्जन-अ-82(NH)-2024-25-2659

खण्डवा, दिनांक 11 फरवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा- 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

//अनुसूची-1//

भूमि का वर्णन					धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सं.क्र.	जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	पंधाना	सारोला	0.25	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा	बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य

//अनुसूची-2//

खसरा नं.	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3
597/1, 597/2, 596	0.07 हे., 0.07 हे., 0.11 हे.	0.25 हे.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पंधाना/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-01-भू-अर्जन-अ-82-2024-25-2659

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा द्वारा पत्र क्र/823/बिहार सारोला बैराज/2024/खण्डवा दिनांक 01-04-2024 प्रस्तुत कर बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम सारोला पटवारी हल्का नं 54 तहसील पंधाना की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.25 हे० भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया साथ ही अवगत कराया कि उक्त नहर निर्माण कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापक क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै अनूपकुमार सिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

सं. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	पंधाना	54	सारोला	0.25	बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य

नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पंधाना/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-27-भू-अर्जन-0001-(अ-82)-2024-25

बालाघाट, दिनांक 5 मार्च 2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार, वारासिवनी-बालाघाट मार्ग में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के पंधुच मार्ग में पडने वाली निजी शासकीय भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु, मौजा वारा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट के भू-स्वामियों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

ग्राम का नाम	स. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकबा हे. में	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा व. मी. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
वारा	1	श्रीराम पिता भैयालाल पवार	406/2/3	0.020	1.40	वारासिवनी-बालाघाट मार्ग में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के पंधुच मार्ग में पडने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण.
	2	लक्ष्मीप्रसाद पिता हिरालाल पवार	406/2/2	0.020	1.75	
	3	सैयद रिजवान अली पिता मीर सैयद अली मुसलमान	406/2/1/2	0.006	3.23	
	4	दीनदयाल पिता तुलसीराम पवार	406/5	0.010	4.30	
	5	ढीमरगिरी पिता पूरनगिरी गोसाईं वगै.	406/1	0.049	32.3	
	6	कमला बाई विधवा परसराम पवार	596/9, 597/9	0.090	13.50	
	7	दिनेश पिता भरतलाल पवार	563/9	0.050	6.93	
	8	बाबूलाल पिता बिसनलाल कोष्टी	563/4	0.180	11.29	
		योग-	08	0.425	74.7	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कुँआ/नलकूप/वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावें/आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मृणाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-4188-रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2021-22-मेहरागांव

नर्मदापुरम, दिनांक 13 मार्च 2025

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक-1

ग्राम मेहरागांव	तहसील इटारसी	जिला नर्मदापुरम	
क्र0	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा	अर्जित रकबा
	निजी भूमि इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु	0.029	0.024

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	उमा देवी पति चैनसिंह, मनोज बल्द चैनसिंह, राखी पुत्री चैनसिंह	268/2/1/2	0.029	0.024	
योग-			0.029	0.024	

(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-4190-रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2021-22-मेहरागांव

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक-1

ग्राम मेहरागांव	तहसील इटारसी	जिला नर्मदापुरम	
क्र0	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा	अर्जित रकबा
	निजी भूमि इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु	0.010	0.010

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	मोरसिंह पिता गंदासिंह पता इटारसी	268/2/मिन-3/1	0.010	0.010	
योग-			0.010	0.010	

(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-448-भू-अर्जन-2025

शिवपुरी, दिनांक 13 मार्च 2025

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम बूडदा तहसील बेराड़ जिला शिवपुरी में 2.420 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

अनुसूची

अनुसूची					धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का विवरण						
जिला	तहसील	नगर /ग्राम	सर्वे नं	रकबा (हे.)		
शिवपुरी	बैराड़	बूडदा	332	0.250	कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र.)	अपर ककेटो बांध परियोजना
			339(S)	0.320		
			258/2	0.440		
			314	0.120		
			315	0.260		
			316	0.180		
			255	0.220		
			254	0.210		
			256	0.420		
		कुल	09 नं.	2.420		

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम -2013 (2013 का 30) और धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र.) और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अथार्त क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

क्र.-449-भू-अर्जन-2025

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम कैमा तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी में 8.793 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

अनुसूची

अनुसूची					धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का विवरण						
जिला	तहसील	नगर /ग्राम	सर्वे नं	रकबा (हे.)		
शिवपुरी	बैराड़	कैमा	111	0.050	कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र.)	अपर ककटो बांध परियोजना
			113	1.500		
			123	0.290		
			120	0.230		
			117	0.300		
			128	0.400		
			108	0.580		
			109	0.130		
			106	0.190		
			105	0.190		
			104	0.260		
			100	0.680		
			98	0.130		
			99	0.940		
			101	0.023		
			102	0.290		
			103	0.110		
			107	0.180		
			122	0.130		

			121	0.100		
			126	0.180		
			276	1.300		
			124(S)	0.610		
		कुल	23 नं.	8.793		

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम -2013 (2013 का 30) और धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र.) और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अथार्त क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 फरवरी 2025

प्र. क्र. 24-अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) पवई	(3) नारायणपुरा	(4) निजी भूमि रकबा 2.194 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.060 हे. कुल रकबा 2.254 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम नारायणपुरा तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) पवई	(3) पड़रिया कला	(4) निजी भूमि रकबा 3.000 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.090 हे. कुल रकबा 3.090 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम पड़रिया कला तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 17 फरवरी 2025

प्र. क्र. 26-अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) पन्ना	(2) पन्ना	(3) अहिरगवा	(4) निजी भूमि रकबा 3.7750 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.2000 हे. कुल रकबा 3.9750 हे.	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	(6) बिलखुरा तालाब योजना अंतर्गत माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम अहिरगवा तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **सुरेश कुमार**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 फरवरी 2025

भू-अ.-प्र. क्र. 01-अ-82-2023-24-2224.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—केलवानुजुर्ग
(घ) अर्जित रकबा—0.74 हेक्टेयर, मकान पक्के-02, कुआं कच्चा-01.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
93	0.05 कुआं कच्चा-1
178/1	0.02

(1)	(2)
178/2	0.03
178/3	0.03
76	0.15
77	0.21
78	0.19
181	0.06
154	मकान पक्का-01
205	मकान पक्का-01
कुल योग :	0.74 हेक्टेयर, कुआं कच्चा-01, मकान पक्के-02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवानुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा / कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 32, बड़वाह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **ऋषभ गुप्ता**, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

प्रारूप-क

(नियम 4 देखिए)

शिवपुरी, दिनांक 25 फरवरी 2025

क्र.-01-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-419.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित नगर पालिका के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम | आयुक्त, विमानन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | शिवपुरी स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकास/विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण. |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण. | 1. प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शिवपुरी (अध्यक्ष)
2. नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका शिवपुरी
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, शिवपुरी
4. जे. पी. शर्मा प्रभारी मुख्य अभियंता कृते, आयुक्त विमानन म. प्र. शासन, भोपाल. |
| (4) | भूमि का विवरण.— | |
| | (क) जिला | शिवपुरी |
| | (ख) तहसील | शिवपुरी |
| | (ग) नगर | शिवपुरी |
| | (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | 120.3890 हे. |
| | (ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र | 24.8410 हे. |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण | शिवपुरी स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकास/विस्तार. |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | 120.3890 हे. |
| (7) | क्या ग्राम सभाओं और / या भूमि धारकों की सहमति अपेक्षित है. | नहीं |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख. | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर |

रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 4 फरवरी 2025

मौजा इटावा, पट. ह. नं. 51, तहसील बीना

(धारा 6 देखिए)

क्र. 0001-अ-82-24-25-भू-अर्जन-25-2011.—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार “सागर जिले के बीना-आगासौद मार्ग के कि. मी. 3/2 में समपार क्रमांक 309 (सी) (बीना-झांसी ट्रैक) एवं समपार क्रमांक 003/Spl. स्पेशल (बीना-गुना ट्रैक) (डबल लॉक गेट) पर आर. ओ. बी. निर्माण कार्य” हेतु समुचित सरकार मौजा इटावा पटवारी हल्का नंबर 51 तहसील बीना, जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 16/1] 16/2] 17/2 हे. में से कुल रकवा 0.380 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्न:— प्ररूप ख एवं ग

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्रारूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- परियोजना का नाम : सागर जिले के बीना-आगासौद मार्ग के कि. मी. 3/2 में समपार क्रमांक 309 सी बीना-झांसी ट्रैक एवं समपार क्रमांक 003 स्पेशल बीना-गुना ट्रैक डबल लॉक गेट पर आर. ओ. बी. का निर्माण कार्य.
- लोक प्रयोजन : आम जन के सुगम आवागमन हेतु बीना शहर में बीना-आगासौद मार्ग के कि. मी. 3/2 में समपार क्रमांक 309 सी बीना-झांसी ट्रैक एवं समपार क्रमांक 003 स्पेशल बीना-गुना ट्रैक डबल लॉक गेट पर आर. ओ. बी. का निर्माण कार्य.
- स्थल : मौजा इटावा में खसरा नं. 16/1, 16/2 एवं 17/2 में भूमि है.
- परियोजना का क्षेत्र तहसील बीना के मौजा इटावा में खसरा नं. 16/1, 16/2 एवं 17/2 में रकवा क्रमशः 0.1665 हे., 0.0375 हे. एवं 0.1785 हे. भूमि प्रभावित है.
- विकल्प जिन पर विचार किया गया : प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त आर. ओ. बी. निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.
- विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित : कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर
- परियोजना निर्माण के चरण : निर्माण कार्य बीना तरफ पूर्णता की ओर है. भू-अर्जन उपरांत आर. ओ. बी. का निर्माण कार्य दुरुस्त गति से पूर्ण कर लिया जावेगा.
- परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे : संलग्न है
- परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि : 0.38 हे.

- | | |
|--|--|
| 10. भूमि का मूल्य : | वर्ष 2024-25 की गार्डेड लाईन के आधार पर |
| 11. प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की संख्या : | 01 |
| 12. परिसम्पत्तियों : | निरंक |
| 13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या : | निरंक |
| 14. सामाजिक समाघात : | निरंक |
| 15. विकल्प जिन पर विचार किया गया | प्रभावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है |
| 16. निष्कर्ष : | प्रस्तावित भूमि पर आर. ओ. बी. निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा. तथा आम जन को आवागमन की सुविधा होगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका अर्जन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा. अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है. |

प्रारूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

- | | |
|---|--|
| 1. प्रभावित परिवारों की जीविका | अप्रभावित है |
| 2. लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों | अप्रभावित है |
| 3. आस्तियों और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन. | अप्रभावित है, एवं आर. ओ. बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण का प्रावधान है. |
| 4. जल-मल निवासी एवं स्वच्छता | अप्रभावित है |
| 5. पेयजल के स्रोत | अप्रभावित है |
| 6. पशुओं के लिए जलस्रोत | अप्रभावित है |
| 7. सामुदायिक तालाब | नहीं है |
| 8. जन सुविधाएं (जैसे-पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं श्मशान). | अप्रभावित है |
| 9. वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है, कि वह प्रस्तावित परियोजना, में शामिल करेगा. | आर. ओ. बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण का प्रावधान है |
| 10. अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मेवारी लेगा. | अपेक्षक निकाय सहमत है. |